न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 08/2019

1. शंकरलाल पुत्र श्री कृष्णलाल जाति गोस्वामी निवासी बिरकाली तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़

– प्रार्थी

बनाम्

1. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट (गोदारा) आयु 60 निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र श्री कानाराम उम्र 40 वर्ष जाति जाट (स्याग) निवासी बिरकाली तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ.।
4. ग्राम पंचायत बिरकाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिरकाली, तहसील नोहर।

–असल अप्रार्थीगण

5. हाकमसिंह पुत्र वजीरसिंह जाति जटसिंह निवासी बिरकाली तहसील नोहर हाल लाम्बावाली तहसील फरीद कोट पंजाब।

– तरतीबी अप्रार्थी

निगरानी विरूद्व निर्णय दिनांक 9.7.2019 प्रकरण सं. 9/2019
बअनवानी कृष्णलाल आदि बनाम हाकमसिंह आदि बअदालत
प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति नोहर
उपस्थितिः– श्री मदनमोहन जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री हवासिंह अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय **दिनांकः– 15.04.2021**

निगरानी प्रार्थी पेश कि जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं :–

1. निगरानीधीन निर्णय दिनांक 9.7.2019 प्रकरण सं. 9/2019 बअनवानी कृष्णलाल आदि बनाम हाकम सिंह आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समिति नोहर विधि की अवहेलना में बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

2. यह है कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने मातहत अदालत के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्रम पंचायत बिरकाली द्वारा प्रत्यार्थी सं. 1 हाकम सिंह के पक्ष में दिनांक 22.10.1990 को जो पट्टा बना हुआ है जो फिरनी की जगह बना लिया इसलिए खारिज किया जावे जिस पर अप्रार्थी सं. 5 ने कथन किया कि विवादित स्थल पर कोई गली या फिरनी नहीं है। प्रत्यार्थी सं. 1 कृष्ण गोदारा के पट्टा के प्लाट आगे आम गली बन्द हो जाती है उसने कथन किया कि ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा प्रत्यार्थी सं. 1 हाकमसिंह के पक्ष में वर्ष 1990 में गांव की आबादी क्षेत्र में 60 गुणा 200 फुट क्षेत्र की जगह का पट्टा सं. 4 रसीद सं. 44 नियमानुसार पट्टे जारी किया गया है। व पट्टा शुदा भूखण्ड दिनांक 25.04.2019 को जरिये इकरारनामा शंकरलाल पुत्र कृष्णलाल बैचान कर दिया तथा राजनैतिक कारणों से अपील प्रस्तुत की गई अपील खारिज की जाकर पट्टा बहाल रखा जावे। मातहत अदालत ने क्रेता को पक्षकार बनाये बिना तथा दफा 5 पर कोर्ट सुनवाई किये बिना निगरानीधीन निर्णय गैर कानूनी ढंग से पारित किया है जो अपास्तनीय है।

3. यह कि मातहत अदालत ने निगरानी कर्ता प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया गया है उक्त पट्टा सं. 4 रसीद सं. 44 22.10.1990 ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा जारी किये गया है जिस पर सचिव व सरपंच दोनो के हस्ताक्षर है उक्त पट्टा वैध व विधि सम्मत है तथा उक्त पट्टा को दिनांक 25.4.2019 को जरिये इकरारनामा उक्त पट्टे शुदा सम्पूर्ण भूखण्ड को बरोबरू गवाहान किमतन प्रार्थी के पक्ष विक्रय कर दिया था। तथा उक्त तथ्य मातहत अदालत को अप्रार्थी सं. 5 ने बतलाए थे तथा निगरानीधीन निर्णय में उक्त तथ्यों का उल्लेख है इसके बावजूद प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा यहां तक कि प्रार्थी को मातहत अदालत ने पक्षकार ही नहीं बनाया जबकि उक्त पट्टा विक्रय हो चुका था। इकरारनामा दिनांक 25.4.2019 को मातहत अदालत को शून्य घोषित करने की अधिकारिता नहीं थी। उपरोक्त कानूनी बातों को नजर अन्दाज कर प्रार्थी को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना गैर कानूनी ढंग से पक्षकार बनाये बिना एक पक्षीय मनमाना व गलत एवं विधि की स्पष्ट अवहेलना में पारित किया है जो अपास्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/3

4. यह कि मातहत अदालत ने दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अपील के निर्णय किये जाने से पूर्व सुनवाई नहीं की मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अपील के निर्णय किये जाने से पूर्व सुनवाई नहीं की मियाद का प्रश्न अपील के निर्णय से पूर्व तय किया जाना था। एवं 29 वर्ष बाद अपील प्रस्तुति का अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को कोई अधिकार नहीं था। तथा उनकी अपील Admission पर ही खारिज योग्य थी। मातहत अदालत ने उक्त कानूनी बिन्दू को नजर अन्दाज कर निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

5. यह कि पट्टा सं. 4 दिनांक 22.10.1990 के उत्तर में गोदारा का मकान व दक्षिण में सवाईसिंह की खेत की भूमि व पूर्व में वजीरसिंह व पश्चिम में कानाराम आदि थे। प्रार्थी द्वारा खारिज शुदा उक्त भूखण्ड के चारों ओर कोई फिरनी की जगह नहीं है आसा पासा उक्त पट्टा सं. 4 दिनांक 22.10.1990 से रोशन है इसे अतिरिक्त उक्त कानाराम, वजीरसिंह, चुन्नीराम गोदारा के पट्टों का आसा पासा मिलान करना चाहिए था। यह आवश्यक था कि उनके पट्टों के आसा पासा में क्या में क्या फिरनी की जगह आरक्षित है ? मातहत अदालत ने उक्त जांच नहीं की है। इसके अतिरिक्त आबादी भूमि में कोई फिरनी आरक्षित की गई हो तो गांव की आबादी का नजरी नक्शा प्रस्तुत करना चाहिए था। पटवारी अथवा ग्राम सचिव की संयुक्त रिपोर्ट बाबत फिरनी है या नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए थी। केवल स्टेण्डिग कमेटी के सदस्यों को यह अधिकार नहीं कि बिना आबादी के नक्शे व पटवारी रिपोर्ट के अभाव में अथवा राजस्व रिकार्ड की साक्ष्य के बिना फिरनी घोषित कर दे मातहत अदालत ने उक्त कानूनी बातों को नजर अन्दाज कर सर्वथा गलत निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

6. यह कि अप्रार्थीगण सं. 2 ता 3 को 29 वर्ष की लम्बी अवधि बाद पट्टा खारिज करने की अपील प्रस्तुति का कोई अधिकार नहीं था ना ही मातहत अदालत को 29 वर्ष की अवधि के बाद पट्टा खारिज करने का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं था । तथा 12 वर्ष तक प्राइवेट कब्जा भी Adverse Posission की श्रेणी में आता है तथा 12 वर्ष पश्चात् केवल सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार हासिल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

था तथा सिविल न्यायाधीश नोहर के यहां शंकरलाल बनाम रामकुमार आदि वाद भी विचाराधीन था मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी
बातों को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढंग से निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

7. यह कि कर्मशाना, गोरखाना, का रास्ता गांव के मध्य से जाता है कृष्ण गोदारा के प्लाट के आगे आम गली बन्द हो जाती है। तथा उसके पश्चात् हाकमसिंह का प्लाट है तथा वहां से ना तो फिरनी है तथा ना ही आगे जाने का कोई रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त बिरकाली गांव बारानी गांव है तथा जागीर का गांव है जिनमें फिरनी नहीं रखी
जाती है। फिरनी का घोषणा पत्र आबादी का नक्शा पटवारी की रिपोर्ट आदि कुछ भी प्रस्तुत नहीं है तथा स्टेण्डिग कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानकर कानूनी तौर से बिना सबूतों के निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर निगरानीधीन निर्णय अपास्तनीय है।

8. यह कि प्रार्थी ग्राम पंचायत बिरकाली से जारी पट्टा आवासीय प्लाट का पट्टा सं. 4 दिनांक 22.10.1990 जिसकी रसीद सं. 44 दिनांक 22.10.1990 है तादादी साईज 200 गुणा 60 बराबर 12000 वर्गफुट का है को 3,60,000/– रूपये अखरे तीन लाख साठ हजार रूपये में प्रार्थी ने प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 5 से जरिये इकरारनामा 500 रूपये स्टाम्प पेपर व नोटेरी एडवोकेट द्वारा सत्यापित करवाकर दिनांक 25.4.2019 को खरीद कर लिया तथा उक्त भूखण्ड पर काबिज हो गया निर्णय दिनांक 9.7.2019 से पूर्व मेंप्रार्थी ने उक्त भूखण्ड किमतन खरीद कर लिया अप्रार्थी सं. 5 ने अपील के जवाब में यह कथन भी किया था प्रार्थी का उक्त पर स्वामित्व है तथा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना निगरानीधीन निर्णय पारित किया है इसलिए प्रार्थी व्यथित पक्षकार है दफा 96 सीपीसी के तहत न्यायालय हाजा की अनुमति से निगरानी प्रस्तुत कर रहा है।

9. यह कि मातहत अदालत ने ग्राम पंचायत से कोई पूछताछ अथवा साक्ष्य नहीं जी यहां कानूनी प्रश्न है कि स्टेण्डिग कमेटी की रिपोर्ट 29 वर्ष पूर्व जारी पट्टा जो विधि सम्मत है को खारिजी के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं मातहत अदालत ने कानून को नजर अन्दाज कर गैर कानूनी ढंग से निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

10. यह कि निगरानी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की है व अन्दर मियाद है तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर विधि की अवहेलना में बिना किसी दस्तावेजी

मुकर्रर न्याय शुल्क पर तहरीर कर प्रस्तुत है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर बअनवानी कृष्णलाल आदि बनाम हाकमसिंह आदि प्रकरण सं. 9/2019 दिनांक 9.7.2019 अपास्त फरमाया जावें।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निगरानी मिमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रशासन एवं स्थापना समिति ने हाकमसिंह के पक्ष में 60 गुणा 200 फुट क्षेत्र की जगह में से दक्षिण से उत्तर 30 गुणा 200 फुट फिरनी, सवाईसिंह के खेत के उत्तर की और पूर्व से पश्चिम 30 फुट फिरनी, अप्रार्थी स0 1 कृष्ण गोदारा की उत्तर से दक्षिण 28 फुट, पूर्व से पश्चिम 30 फुट क्षेत्र की हद तक हाकमसिंह के पक्ष में दिनांक 22.10.1990 को जारी पटटा निरस्त किया गया है एवं फिरनी के पश्चिमी तरफ रामकुमार के पूर्व की और खाली पड़ी जगह के बीच पूर्व से पश्चिम 30 फुट व उत्तर से दक्षिण 142 फुट क्षेत्र की जगह का शेष पटटा बहाल रखा है। जो की कानूनी तौर से सही नहीं है। उक्त पटटा दिनांक 22.10.1990 को हाकमसिंह पुत्र वजीर सिंह के नाम विधिवत जारी किया गया है। उक्त पटटा हमने जरिये इकरारनामा दिनांक 25.04.2019 को हाकमसिंह से क्रय कर लिया था। अधिनस्थ न्यायालय ने फिरनी की जगह मानकर हमारा पटटा निरस्त किया है जबकि उक्त भूखण्ड के कोई फिरनी नहीं है व फिरनी आरक्षित करने संबंधि राजस्व रिकार्ड महकमा व ग्राम पंचायत दोनों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। अतः हमारी निगरानी स्वीकार कर पटटा बहाली के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की इन्होनें 60 गुणा 200 फुट क्षेत्र का नियम विरूद्ध पटटा जारी करवा लिया है जो पटटा खारिज योग्य ही था। इन्होनें रास्ते को सम्मलित करते हुए पटटा जारी करवा लिया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किय गया निर्णय विधिसम्मत है अतः इनकी निगरानी खारीज फरमावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि दिनांक 22.10.1990 को हाकमसिंह के नाम जारी पटटा विधिवत जारी किया गया है जो कि 25.04.2019 को शंकरलाल पुत्र कृष्ण कुमार जाति गोस्वामी द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

खरीदशुदा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2019 का निर्णय निरस्त किया जाकर निगरानी प्रार्थी स्वीकार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15.04.2021 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें।

(डॉ. [illegible] आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)